



भारतीय खेल प्राधिकरण
(राजभाषा प्रभाग)

फा.सं. भाखेप्रा/रा.भा./3056/2025-26/ 471

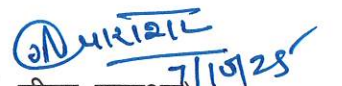
दिनांक: 07/10/25

विषय: राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा प्रभागों को विनिर्दिष्ट करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत फरवरी, 1989 से अधिसूचित है और राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक कार्यालय को प्रत्येक वर्ष हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य हिंदी में करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से विनिर्दिष्ट आदेश जारी करने होते हैं।

अतः निदेशक (कार्मिक) से अनुरोध है कि वे भाखेप्रा मुख्य कार्यालय में तैनात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (केवल नियमित) के नाम, पदनाम, प्रभाग की सूची संलग्नक प्रपत्र में भरकर राजभाषा प्रभाग, मुख्य कार्यालय को दिनांक 09.10.2025 तक निश्चित रूप से भिजवा दें, ताकि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से हिंदी में काम करने हेतु विनिर्दिष्ट आदेश दिए जा सकें और शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवीणता हेतु प्रशिक्षण दिलवाया जा सके।

संलग्नक: यथा उपरोक्त


(डॉ. गीता पाराशर)

निदेशक/प्रभारी (रा.भा.)

प्रति:

1. निदेशक, कार्मिक, भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
2. मास्टर फोल्डर

केवल भाखेप्रा मुख्य कार्यालय/स्टेडिया में तैनात नियमित अधिकारी/कर्मचारी

क्र०सं०	नामऽऽ	पदनाम	प्रभाग
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			